जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया
Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांकः जे0एन0सी0यू0 / सा0प्र0(आर0 कैम्प) / 4453 / 2021 दिनांकः 20 मई, 2021

सेवा में,

1. निदेशक (शैक्षणिक)
   विश्वविद्यालय परिसर,

2. प्राचार्य / प्राचार्या
   समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय

विषयः— कोविड—19 के संक्रमण के दृष्टिगत विश्वविद्यालय / माहविद्यालय / उच्च शिक्षण संस्थानों को संचालित किये जाने के सम्बन्धी दिशा—निर्देश।

महोदय / महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग—3, उत्तर प्रदेश शासन के संलग्न शासनादेश संख्या— 1107 / सत्तर—3—2021—08(20) / 2020 दिनांकः 18 मई, 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से कोविड—19 के संक्रमण के दृष्टिगत दिनांकः 20.05.2021 से प्रदेश स्थित उच्च शिक्षा विभाग के अधीन समस्त उच्च शिक्षण संस्थाएं एवं राज्य / निजी विश्वविद्यालय तथा समस्त महाविद्यालय को संचालित किये जाने हेतु दिशानिर्देश प्रदान किये गये है।

अतएव संलग्ल शासनादेश दिनांक 18 मई, 2021 में उल्लिखित दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः शासनादेश दि0 18.05.2021

(संजय कुमार)
कुलसचिव

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः—

1. माननीय कुलपति जी।
2. समस्त संकायाध्यक्ष
3. उपकुलसचिव को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।

कुलसचिव

पताः—शहीद स्मारक, निकट सुरहा ताल, जिला—बलिया,उ0प्र0 पिन कोडः—277001
Address:- Saheed Smarak, Near Surha Taal, Dist-Ballia, U.P. Pin Code-277001
Website:-www.jncu.ac.in E-mail :- jncuballia@gmail.com

शीर्ष प्राथमिकता

संख्या–1107 / सत्तर–3–2021–08(20) / 2020

प्रेषक,

अब्दुल समद,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–**कुलपति**,
समस्त राज्य / निजी विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

2–**निदेशक**,
उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
प्रयागराज।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक 18 मई, 2021**

विषयः–कोविड–19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत विश्वविद्यालय / महाविद्यालय / उच्च शिक्षण संस्थान संचालित किए जाने सम्बन्धी दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग–3 के आदेश संख्या–1087 / सत्तर–3–2021–08(20) / 2020 दिनांक 10.05.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के अधीन समस्त उच्च शिक्षण संस्थायें एवं राज्य / निजी विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय परिसर भौतिक रूप से बंद किये जाने एवं ऑनलाइन कक्षायें दिनांक 20.05.2021 तक स्थगित करने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड–19 के संक्रमण के दृष्टिगत प्रदेश स्थित उच्च शिक्षा विभाग के अधीन समस्त उच्च शिक्षण संस्थायें एवं राज्य / निजी विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय को संचालित किये जाने का निम्नवत निर्णय लिया गया हैः–

(1) पाठ्यक्रम से सम्बन्धित सभी कक्षायें / शिक्षण कार्य संस्थान परिसर में न होकर दिनांक 20.05.2021 से ऑनलाइन संचालित किये जायेगें। विश्वविद्यालय / महाविद्यालय परिसर में छात्र / छात्राओं की उपस्थिति नहीं होगी।

(2) उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा डिजिटल लाइब्रेरी में प्रदेश के सर्वोत्तम शिक्षकों द्वारा उत्कृष्ट ई–कन्टेण्ट अपलोड किये गये हैं। अतः प्रदेश के छात्रों को इसका सर्वाधिक उपयोग करने हेतु प्रेरित किया जाये।

(3) परिसर में शिक्षकों की उपस्थिति के सम्बन्ध में कुलपति / प्रधानाचार्यो द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(4) शिक्षकों / छात्रों के संक्रमित होने अथवा नेगेटिव रिपोर्ट के बाद किसी अन्य चिकित्सीय कठिनाई के समय उक्त छात्र–शिक्षक को पठन–पाठन ऑनलाइन जारी रखने अथवा न रखने के सम्बन्ध में सम्बन्धित कुलपति, विभागाध्यक्ष या प्रधानाचार्य कोविड–19 गाइडलाइन के अनुसार अपने स्तर से निर्णय ले सकेंगे।

(5) विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में कार्यरत समूह–"ख", "ग" एवं "घ" के कार्मिकों की 50 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु साप्ताहिक रोस्टर इस प्रकार तैयार किया जायेगा कि ऐसे कर्मी अल्टरनेट (वैकल्पिक) रूप में कार्यालय आयें तथा शेष 50 प्रतिशत कार्मिक घर से ही कार्य निष्पादित करेंगे।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

Nikhil G.O.

संख्या–1107(1)/सत्तर–3–2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन
6. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8. कुलसचिव, समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
9. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अब्दुल समद)
विशेष सचिव।

Nikhil G.O.